



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 04.03.2024

थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पावटी कला के जंगल में एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध चाकू व डण्डा बरामद:-

ज्ञात हो कि दिनांक 03.02.2024 को श्री रजत पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम पावटी कला थाना कैराना जनपद शामली के भाई रवि के साथ लव पुत्र सपट्टर निवासी ग्राम बल्हेड़ा थाना झिंझाना आदि व 4-5 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लाठी डण्डो से लैस होकर मारपीट कर जानलेवा हमला करने व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 04.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पावटी कला के जंगल में एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त अवैध चाकू व डण्डा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के साथी लव कुमार को दिनांक 08.02.2024 को थाना कैराना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। घटना में लिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.नकुल पुत्र नाथीराम निवासी ग्राम बल्हेड़ा थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 2.कुश कुमार पुत्र सपट्टर सिंह निवासी ग्राम बल्हेड़ा थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.घटना में प्रयुक्त अवैध चाकू व डण्डा।

आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0स0 52/24 धारा 147/148/149/324/325/342/307 भादवि व 4/25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।



थाना बाबरी पुलिस द्वारा मोबाइल लूट की घटना में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटा हुआ मोबाईल

बरामद:-

ज्ञात हो कि दिनांक 03.03.2024 को श्री अर्जुन सैनी पुत्र श्री सलेख चन्द निवासी हौली चौक थाना बाबरी जनपद शामली ने अभियुक्त साहिल पुत्र विनोद कोरी निवासी ग्राम व थाना बाबरी जनपद शामली द्वारा गाली गलौच कर मोबाईल छीन कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर लिखित तहरीर दाखिल की गयी थी। पीडित की तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 04.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा मोबाइल लूट की घटना में वांछित 01 अभियुक्त को लूटे हुये मोबाईल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. साहिल पुत्र विनोद कोरी निवासी ग्राम व थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. लूटा हुआ मोबाईल फोन वीवो वाई-36



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भडी भरतपुरी में दो पक्षों में हुए झगड़े में वांछित 04 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार-

ज्ञात हो कि दिनांक 01.03.2024 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भडी भरतपुरी में दो पक्षों में आपसी कहासुनी को लेकर आपस में लाठी डण्डों व ईट-पत्थर से मारपीट की गई थी। जिसके संबंध में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा लड़ाई झगड़े में प्रयुक्त ईट-पत्थर व लाठी डण्डा बरामद कर दोनों पक्षों के 21 अभियुक्तों को नामजद करते हुए थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना को उपरोक्त लड़ाई-झगड़े में शामिल अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 04.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भडी भरतपुरी में दो पक्षों में हुए झगड़ों में शामिल 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्त इश्तकार व जावेद को दिनांक 02.03.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है, शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

नाम पता गिरफ्तार वांछित अभियुक्तगण:-

1. मुनव्वर पुत्र मुराद अली निवासी ग्राम भडी भरतपुरी थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. इन्तजार पुत्र शौकत निवासी ग्राम भडी भरतपुरी थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. गुलबहार पुत्र अकबर अली निवासी ग्राम भडी भरतपुरी थाना झिंझाना जनपद शामली।
4. जुल्फकार पुत्र अकबर अली निवासी ग्राम भडी भरतपुरी थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभि0 मुनव्वर उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 81/2024 धारा 147/148/149/323/336/504/506 भादवि0 व 7 सीएल एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभि0 इन्तजार उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 81/2024 धारा 147/148/149/323/336/504/506 भादवि0 व 7 सीएल एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. मु0अ0सं0 404/2014 धारा 3 लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभि0 गुलबहार उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 81/2024 धारा 147/148/149/323/336/504/506 भादवि0 व 7 सीएल एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. मु0अ0सं0 645/2010 धारा 324/506 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभि0 जुल्फकार उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 81/2024 धारा 147/148/149/323/336/504/506 भादवि0 व 7 सीएल एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. मु0अ0सं0 207/2023 धारा 323/324/506 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. मु0अ0सं0 645/2010 धारा 324/506 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध छुरा बरामद ।

आज दिनांक 04.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाये जा रहे अवैध शराब/अवैध हथियार की बरामदगी/निर्माण/तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध छुरा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. साकिर पुत्र दिलशाद निवासी मौहल्ला आलकलां थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध 01 छुरा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 118/2023 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

2. मु0अ0सं0 98/2024 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।



SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI